विवरण-II

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
गुजरात राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची

19. बरदा

20. भावचा, बामचा

21. भारवाड़ (अलेघ बारदा तथा मीर के जंगलो के नेसेज में)

22. भील, भील, गारसिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गारसिया, मेबासी भील, रावल भील, ताडवी भील भागालिया, पावारा, वासवा, वासवे

23. चारण (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलो के नेसेज में)

24. चौधरी (सूरत तथा वलसाद जिला)

25. कोधरा

26. ढांका, ताडवी, तेतारिया, काल्वी

27. धोदिया

28. दुबला, तालविया, हालपती

29. गामित, गामता, गावित,मावची , पाडवी

30. गोंड, राजगोंड

31. काथोदी, काठोरी, ढोर, काथोदी, डोरा काठोदी, सोन का थोदी, सोन काथोदी

32. कोकना, कोकनी, कुकना

33. कोली (कच्छ जिला में)

34. कोली ढोर, तीकरे, कोली, कोलचा, कोलथा

35. कुंबी (डांग्स जिला में)

36. नाइकडा, कोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, बोता नायक, नाना नायक

37. पाधार

38. पारधी (कच्छ जिला में)

39. पारधी, आदवी चिचेंर, पान्से पादधी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ, कच्छ, राजकोठ तथा सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)

40. पाटेलिया

41. पेमला

42. राबड़ी (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलों में नेसेज में)

43. राठवा

44. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलो में)

45. वाधरी (कच्छ जिलो में)

46. वारली

47. विटोला, कोटवालिया, बरोदिया

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों के लिए विशेष कार्य योजना

1392. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों में विशेष कार्य योजना के अंतर्गत आवश्यक सामग्री प्रदान करने और इन छात्रावासों की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ष 1994-95 और 1996 के दौरान कितनो धनराशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस राशि में से कितनी राशि छात्रावासों और आश्रम भवनों की मरम्मत और उनमें आवश्यक सामग्री प्रदान करने हेतु व्यय की गई; और

(घ) इस विशेष कार्य योजना के बावजूद जिलेवार, ऐसे छात्रवासों और आश्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या हैं जिन्हे आवश्यक सामग्री प्रदान नहीं की गई अथवा उनकी मरम्मत नहीं की गई तथा इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) यह मंत्रालय मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को होस्टलों में आवश्यक सामग्री प्रदान करने या होस्टलो की मरम्मत के लिए किसी विशेष कार्य योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं देता हैं। तथापि, यह मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़को के लिए होस्टल, लड़कियों के लिए होस्टल तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रो के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान स्वीकृत करने की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा हैं।

सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र

1393. **श्री अजीत जोगी** :

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं मे विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को केवल विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जा रहा हैं;

(ख) सार्वजानिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के आरक्षण संबंधी स्थिति क्या हैं;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई हैं;

(ड.) यदि नहीं, तो उक्त निग के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना हैं; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों तथा विकलांग व्यक्तिय (समान अवसर, अधिकारों का अरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995की धारा 33 के उपबंधो के अनुसरण में केवल विकलांग व्यक्ति ही उनके लिए पहचान किए गए तथा आरक्षित पदों पर नियुक्त किए जा सके हैं।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजानिक क्षेत्रों के उपक्रमों में समूह "ग" तथा "घ" पदो में 1100 पदों की पहचान की गई हैं जिन पर विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती हैं।

(ग) कल्याण मंत्रालय मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और नियुक्त किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या को भी दर्शाते हुए समूह ग तथा समूह ख पदो में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी अर्धवार्षिक रिपोर्ट देने पर बल देता रहा हैं।

(घ) दिनांक 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम निगामित किया गया हैं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे बसे विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन कर रहा हैं:-

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता,

(2) विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनो की सहायता,

(3) सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता,

(4) कुछ रोग युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता,

(5) जिला पुनर्वास केंन्द्र।

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिशत में कमी

1349. **श्री ईश दत्त यादव** :

श्री नागमणि:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कम होता जा रहा हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कितना था; और

(ग) मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हे उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियां देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं।

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) एक विवरण, विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए)

विवरण

आम तौर पर केन्द्र सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती के संबंध में सरकार की नीति पूर्ण रूप से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होती हैं। भर्ती नियमों को इस प्रकार तैयार किया जाता हैं कि भर्ती समान अवसर प्रदान करते हुए योग्यता के आधार पर चयन पर आधारित होती हैं ताकि जनसंख्या के किसी भी वर्ग के विरूद्व भेदभाव न हो सके। चूंकि भर्तियां जाति, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर नही होती हैं, इसलिए धर्मवार भर्ती से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

लोक सेवाओं में भर्ती भारत के संविधान के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होती हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में भर्ती अथवा रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अतंर्गत